न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V, ... एच०जे०एस०

(J.O. Code- UP 6546)

दाण्डिक निगरानी संख्या 201 सन 2025

(CNR No. UPFT-01005198 2025)

शिप्रा पुत्र राम मोहन निवासिनी ग्राम गोविन्दपुर बिलारी थाना चांदपुर जिला फतेहपुर।

..... निगरानीकर्ती

प्रति

1. राज्य उत्तर प्रदेश
   जयकरन सिंह पुत्र छोटा सिंह निवासी ग्राम पहाडपुर बडिगवां थाना चॉदपुर जनपद फतेहपुर।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ती शिप्रा की ओर से परिवाद संख्या 294 सन 2019 शिप्रा बनाम जयकरन सिंह थाना चांदपुर जिला फतेहपुर के मामले में विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.09.2025 से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ती के परिवाद को परिवादी के तलबी बहस हेतु उपस्थित न होने के कारण निरस्त कर दिया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ती/परिवादिनी शिप्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के न्यायालय में परिवाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसको रेलवे विभाग में नौकरी दिलवाने हेतु जयकरन सिंह ने झांसा देकर उसके पिता

राममोहन से उसके घर में रुपया 2,75,000/– लिया था तथा साथ में गॉव के शिवदर्शन उर्फ चुन्नू से रुपया 2,00,000/– व साल्हेपुर के रामनरायन से रुपया 3,00,000/– व धिरजापुर के राकेश से रुपया 1,00,000/– व सिकन्दरपुर के शिवशंकर से रुपया 1,00,000/–, गांगपुर के शिवगुलाम से रुपया 75,000/– व रामपुर बांदा के वंशगोपाल से रुपया 2,00,000/– व सठिगवां के अरविन्द वर्मा से रुपया 1,00,000/– व गॉव के खुशीलाल से रुपया 1,00,000/– व कुन्देरामपुर के रमेश चन्द्र से रुपया 2,00,000/– व गोविन्दपुर बिलारी के ही जगमोहन से रुपया 50,000/– लिया था इस प्रकार सभी से कुल मिलाकर रुपया 17,00,000/– झांसा देकर रेलवे विभाग में नौकरी दिलवाने हेतु लिया था, किन्तु परिवादिनी व अन्य किसी की भी नौकरी नहीं मिली। तब सभी लोगों ने दिये गये रुपये वापस करने की मॉग की किन्तु जयरकरन सिंह आश्वासन देकर टाल मटोल करते रहे। माह जुलाई 2019 में जब परिवादनी व अन्य सभी लोगों ने दी गयी धनराशि वापस करने की मॉग की तो जयकरन सिंह ने भद्दी भद्दी गालियॉ व जान से मारने की धमकी दिया तब सभी लोग उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने की बात कही। तब जयकरन सिंह ने दिनांक 20.7.2019 को आवेदिका के नाम रुपया 3,00,000/– को अपने खाता संख्या 5428010005135 सम्बन्धित बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सठिगवां जिला फतेहपुर को एक चेक संख्या 000006 प्रदान किया था। आवेदिका ने उक्त चेक को अपने खाता नम्बर 54280100010677 सम्बन्धित बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सठिगवां जनपद फतेहपुर में दिनांक 10.10.2019 को धनराशि प्राप्त करके जमा किया। किन्तु आवेदिका को चेक में धनराशि का भुगतान नहीं हुआ और सम्बन्धित बैंक द्वारा आवेदिका को उक्त चेक मय रिटर्न मेमो दिनांकित 10.10.2019 वापस कर दी गयी। रिटर्न मेमो में भुगतान न होने का यह कारण दर्शित किया गया है कि सम्बन्धित बैंक खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं है। चेक वापस मिलने के बाद आवेदिका ने तुरन्त जयकरन सिंह को चेक बाउन्स होने की जानकारी दिया तथा अपनी धनराशि की मॉग की। फिर भी उसने धनराशि वापस नहीं किया और न कोई सही जवाब व आश्वासन दिया। अभियुक्त जयकरन सिंह ने जानबूझकर बेईमानी की नीयत से आवेदिका की धनराशि हडप करने के उद्देश्य से बैंक खाता में बिना पर्याप्त धनराशि के आवेदिका को चेक प्रदान किया है। परिवादिनी उक्त चेक के अनादरित होने की सूचना विपक्षी/अभियुक्त को जरिए नोटिस दिनांक 04.11.2019 के माध्यम से दी गयी तथा धनराशि की मॉग की गयी किन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि अदा नहीं की गयी और न ही इस बाबत परिवादिनी व उसके पारिवारिक सदस्यों से कोई सम्पर्क

किया गया और न ही नोटिस का जवाब दिया गया।

विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/एफ०टी०सी०/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 17.09.2025 के द्वारा निगरानीकर्ती/परिवादिनी के परिवाद को परिवादी के तलबी बहस हेतु उपस्थित न होने के कारण निरस्त कर दिया है।

3. संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत है। विद्वान अवर न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो कल्पना पर आधारित है। निगरानीकर्ती दिनांक 16.8.2025 को गम्भीर रुप से बीमार होने के कारण लम्बी अवधि तक न्यायालय उपस्थित नहीं आ सकी थी और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सकी थी। विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित कर निगरानीकर्ती को न्याय से पूर्णतया वंचित कर दिया है, जिसके कारण प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुना तथा आक्षेपित आदेश एवं अवर न्यायालय की मूल पत्रावली सहित सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5. विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा जिस आदेश दिनांक 17.09.2025 को इस निगरानी में चुनौती दी गयी है उस आदेश के माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ती के परिवाद को परिवादिनी के तलबी बहस हेतु उपस्थित न होने के कारण निरस्त कर दिया है। विद्वान अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी के विगत कई तिथियों से तलबी के बिन्दु पर बहस करने हेतु उपस्थित न होने एवं विगत 6 वर्ष से परिवाद के लम्बित होने के कारण परिवादिनी की अनुपस्थिति में परिवाद को निरस्त कर दिया है। अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है। प्रस्तुत परिवाद को अवर न्यायालय द्वारा तलबी के बिन्दु पर बहस हेतु उपस्थित न होने के कारण निरस्त किया गया है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर गुण– दोष के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की राय में निगरानीकर्ती/परिवादी को एक अवसर सुनवाई हेतु दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदनुसार निगरानीकर्ती की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ती शिप्रा की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 17.09.2025 अपास्त किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार समुचित आदेश पारित करे। निगरानीकर्ती नियत तिथि को अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी तलबी बहस पूर्ण करे। अन्यथा यह आदेश स्वत: निष्प्रभावी हो जायेगा। उभयपक्ष अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2026 को उपस्थित हों।

अवर न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस भेजी जाय। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 13.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 13.04.2026

(सुधीर कुमार–V)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.04.16 17:04:26 +05'30'